

निगम के बाड़ी संयत्र से पूरक पोषण आहार एवं नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से गेंहू तथा चावल के परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 19.9.2018 के संबंध में दिनांक 12.9.2018 को आयोजित प्री बिड मिटिंग में संभावित निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत बिंदुओं पर समिति के निर्णय

1. निविदा पत्र में दर्शित दूरियां गूगल मेप के अनुसार नहीं है, एवं दूरियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

समिति का निर्णय— उपरोक्त संबंध में निविदा पत्र की शर्त कं 10.1.5 में स्पष्ट किया गया है कि दूरियों में विसंगति हाने की दशा में गूगल मेप के आधार बाड़ी से गंतव्य स्थान के लिये दर्शाई गई दूरी को अंतिम मान्य किया जावेगा। उपस्थित प्रतिनिधि से कहा गया कि जिन जिन स्थानों की दूरियों में विसंगति है वे निविदा दिनांक 19.9.2018 के साथ जानकारी प्रस्तुत करें। संशोधन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके। यदि आवश्यक होता है तो अनुबंधित निविदाकार को अवगत कराया जाएगा, तब तक अनुसूची 4 के अनुसार ही दूरियां मान्य की जावेगी।

2. लोडिंग एवं अनलोडिंग की दरें प्रत्येक स्थान पर अलग अलग रहती है इस कारण दरें किस प्रकार से दी जा सकेंगी

समिति का निर्णय— निविदा की शर्त कं 10.1.3 का अवलोकन करें।

3. निविदा की शर्त कं 10.1.13 के अनुसार पोषण आहार की पावती तीन दिवस में प्रस्तुत की जाना है। सामान्यतः अवकाश होने या किसी अन्य कारण से पावती प्राप्त करने में समय लग जाता है, अतः समय सीमा बढ़ाई जाये।

समिति का निर्णय— प्रस्ताव को मान्य कर निविदा की शर्त कं 10.1.13 को निम्नानुसार संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

“पोषण आहार का प्रदाय नियत परियोजना स्थल पर किये जाने के उपरांत विधिवत निगम के चालान पर पावती लेकर संबंधित परियोजना प्रभारी से सत्यापित करवाकर पावती की मूल प्रति निगम मुख्यालय भोपाल में महाप्रबंधक पोषण आहार के कक्ष में सामान्यतः परिवहन दिनांक के तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है, विशेष परिस्थिति में यह समय सीमा अधिकतम 7 दिवस मान्य होगी।

4. लोडिंग क्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र किस प्रकार प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति का निर्णय— ट्रकों के आरटीओ के पंजीयन की प्रति में क्षमता का उल्लेख होता है तदनुसार ही निविदा पत्र की अनुसूची 5 में क्षमता का उल्लेख किया जाना है एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाना है।

